विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	वर्ष	बीमांकित राशि	स्वीकृत अथवा निपटाए गए दावे	टिप्पणी
1	1991–92	247.70	114.96	निपटाए जाने के लिए कोई बकाया दावे शेष नहीं हैं ।
2	1992–93	245.10	शून्य	कोई दावे नहीं किए गए थे ।
3	1993–94	—	—	1993–94 के लिए पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

जैव विविधता का परिरक्षण, अनुरक्षण और संवर्धन

1570. **श्री सोमपाल :**

श्री शारदा महन्ती :

डा० नौनिहाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैव विविधता के परिरक्षण अनुरक्षण एव संवर्धन हेतु कोई समयबद्ध लक्ष्यपरक कार्यक्रम बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को गति देने और सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व किन विभागों अथवा संस्थाओं को सौंपा गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए क्या-क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : : (क) और (ख) पौधों, पशुओं तथा मछलियों की जैव विविधता के परिरक्षण तथा उसे बढ़ावा देना और आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, वे क्षेत्र हैं देश में जिनको प्राथमिकता दी जा रही है तथा जिन पर काम किया जा रहा है ।

इस विषय पर काम में तेजी लाने और उसे बढ़ावा देने की प्रमुख (नोडल) ऐजन्सी पर्यावरण तथा वन मंत्रालय है लेकिन इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण विभाग संस्थायें इस काम में लगे हैं; वे इस प्रकार हैं :—

(1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(2) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत (अन्य आयोजनाओं के अलावा) कुछ चुने हुए भेषजीव तथा संगधीय पौधों के प्रगुणन और संरक्षण का काम किया जा रहा है । वानिकी के क्षेत्र में जैव विविधता संबंधी काम पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं ।

पौधों की जिन जातियों के विलुप्त होने का खतरा है उनका जैव प्रौद्योगिकीय

विधियों द्वारा संरक्षण करने के लिए जैव प्रौद्योगिकीय विभाग द्वारादेश के विभिन्न भागों में चलाई जा रही आठ प्रायोजनाओं को धनराशि कराई जा रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय पादप संसाधन, ब्यूरो, नई दिल्ली,; राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ससाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ क्रमशः पौधों, पशुओं मछलियों के आनुवंशिक ससाधनों की पहचान, विवरण, मूल्यांकन तथा सरक्षण कामों में समन्वयन कर रहे हैं।

"दिल्ली दुग्ध योजना" का राष्ट्रीय सहकारी डेरी महासंघ को हस्तांतरण

1571. श्री सोमपाल :
डा. नौनिहाल सिंह :
श्री शारदा महन्ती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना को राष्ट्रीय सहकारी डेरी महासंघ को हस्तांतरित करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस निर्णय के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Review of Flood situation by the Prime Minister

1572. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI SATISH AGARWAL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister recently reviewed the flood situation in the country and visited some flood affected States like Maharashtra, Gujarat etc.;

(b) if so, in what parts in the country serious situation has developed on account of floods;

(c) what is the total amount that has been provided so far by the centre to various States to deal with these calamities particularly in Orissa and Rajasthan;

(d) whether the Prime Minister himself is monitoring to ascertain the manner in which the funds provided for the purpose have been spent so far; and

(e) what is Prime Minister's assessment of the damage caused, amount paid to the relatives of the each deceased funds released so from the Prime Minister's relief fund for such payments and action taken by Government on the basis of reports of various central agencies in this regard submitted to him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a), (d) & (e) The Prime Minister reviewed the flood situation in the various parts of the country and relief measures being undertaken in the affected areas on 18th July, 1994. On his directions, Central Ministers have visited the flood affected areas of Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh and Orissa to assess the situation. Government of India is monitoring the situation closely.

(b) According to reports received from State Governments serious flood situation prevailed in the States of Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Kerala, Maharashtra and Orissa.

(c) An amount of Rs. 248.00 crores have been released during 1994-95 to the State Governments as Central Share of Calamity Relief Fund to enable them undertake relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities.